बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-13/अ0 प्र0-09-06/2021 4927 /पटना, दिनांक-01/10/21

प्रेषक,

संजय दूबे भा0प्र0से0
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार,

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-2022 में राशि की निकासी के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत उपलब्ध कराये गए आवंटन के विरूद्ध राशि की निकासी कोषागार से किस्तों में की जायेगी। राशि की निकासी सम्पादित कार्यो के विरूद्ध, राशि उपलब्धता के आधार पर माहवार दायित्वों में, उदाहरणस्वरूप सर्वप्रथम माह अप्रैल, 2021 के दायित्व के भुगतान के उपरान्त माह मई, 2021 के दायित्व का भुगतान किया जाए। माह मई 2021 के पश्चात माह जून, 2021 के दायित्व का भुगतान किया जाए। माह जून, 2021 के बाद माह जुलाई, 2021 के दायित्व का भुगतान किया जाए। माह जुलाई, 2021 के पश्चात माह अगस्त, 2021 के दायित्व का भुगतान किया जाए। माह अगस्त, 2021 के दायित्व का भुगतान माह सितम्बर2021, माह सितम्बर, 2021 के दायित्व का भुगतान अक्टूबर, 2021 में, अक्टूबर, 2021 के दायित्व का भुगतान नवम्बर, 2021 में, नवम्बर, 2021 के दायित्व का भुगतान दिसम्बर, 2021 में किया जाए। इसी क्रम में प्रत्येक किस्त की निकासी हेतु कोषागार में प्रस्तुत विपत्र में स्पष्ट रूप से संबंधित माह का नाम अंकित करते हुये इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि जिस माह की देयता के लिए निकासी की जा रही है उससे संबंधित मद में पूर्व माह तक की देयता का विपत्र पारित हो चुका है। उदाहरणस्वरूप जुलाई माह का देय दावा (Claim) में सम्मिलित विपत्र की निकासी तभी की जायेगी जबकि इसके पूर्ववर्ती माह यथा, जून तक का दावा (Claim) में सम्मिलित विपत्र पारित हो गया हो। किसी भी परिस्थिति में दो माह के दावे (Claim) की राशि एक साथ जोड़कर कोषागार में प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

2. किसी भी परिस्थिति में अग्रिम राशि की निकासी कर बैंक खातों में संधारित नहीं किया जाय।

अतः निदेश दिया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में उक्त निकासी की शर्तो का उल्लघंन नहीं किया जाए न ही Pick & Choose कर किसी प्रकार का भुगतान किया जाए।

विश्वासभाजन

1/10/2021

सरकार के विशेष सचिव

Sanctioning Order 2021-22

Chandan

ज्ञापांक -13/अ0 प्र0-09-06/2021 4927 /पटना, दिनांक-01/10/21
प्रतिलिपि- सभी नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने-अपने संबंधित योजनाओं में प्राप्त माहवार अधियाचना के आलोक में ही निकासी हेतु अनुरोध किया जाय।

1/10/2021

सरकार के विशेष सचिव

Chandan